

दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

1. विद्यालय / संस्था का नाम / पता.....
2. शिक्षा सत्र .....
3. छात्र / छात्रा का पूरा नाम.....
4. जन्म तिथि.....
5. हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष..... बोर्ड.....  
अनुक्रमांक.....
6. लिंग (पुरुष / स्त्री).....
7. पिता का नाम व व्यवसाय .....
8. माता का नाम व व्यवसाय.....
9. विधिक अभिभावक का नाम व व्यवसाय.....  
(यदि माता पिता से भिन्न हों)
10. श्रेणी..... उप जाति..... धर्म.....  
(1. सामान्य 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4. अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक)
11. पूरा स्थायी पता .....
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता .....
13. कक्षा / पाठ्यक्रम का पूरा नाम.....
14. पाठ्यक्रम की अवधि .....
15. कक्षा / पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि .....
16. वर्तमान वर्ष में छात्र / छात्रा के पाठ्यक्रम का वर्ष ..... प्रवेश तिथि.....
17. कक्षा में प्रवेश का प्रकार (नियमित सीट / स्ववित्त पोषित सीट).....
18. माता / पिता / पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ..... आय प्रमाण पत्र संख्या.....  
(यदि माता / पिता जीवित न हो तो विधिक अभिभावक की वार्षिक आय)
19. आवासीय छात्र / दिवा छात्र (उल्लेख करें).....
20. छात्र के बैंक का नाम..... शाखा का नाम.....
- e-b.s खाता संख्या ..... (जनपद के बाहर के खाते अनुमन्य नहीं)
21. पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि (अंको में)..... (शब्दों में).....
22. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंको में)..... (शब्दों में).....  
(यदि पूर्व में वर्तमान अध्ययन अवधि में कोई अन्तराल / व्यक्धान (गैप) हो तो उसका पूर्ण विवरण शपथ पत्र में संलग्न करें।)

विद्यालय / संस्थान  
द्वारा प्रमाणित  
फोटो चिपकाएं

घोषणा-पत्र

हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त सूचनायें सही हैं, मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण पायी जाय तो छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूंगा / दूँगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

माता / पिता के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर

(माता / पिता की मृत्यु की दशा में विधिक रूप से घोषित अभिभावक)

उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन संस्थान स्तर पर कर लिया गया है।

प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट—आवेदन पत्र भरने के दिशा-निर्देश पृष्ठ भाग पर अंकित हैं।

## आवेदन पत्र भरने के दिशा-निर्देश

1. आवेदन पत्र स्वच्छ हस्तलिपि में हिन्दी/अंग्रेजी में भरे जाय।
2. श्रेणी में आवेदक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग/अल्पसंख्यक जैसी स्थिति हो अंकित किया जाय।
3. आय प्रमाणपत्र मूल रूप में संलग्न किया जाय।
4. हाई स्कूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य शैक्षिक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाय।
5. आवेदन पत्र पर संलग्न फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाय की हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदनपत्र पर आये।
6. छात्र का बैंक खाता उसी जनपद में होना चाहिये जिस जनपद में संस्था स्थित है।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों में जॉचोपरान्त यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. स्थायी एवं पत्र व्यवहार के पते में निम्न प्रकार से प्रविष्टियाँ की जाय:-
  - (क) ग्रामीण क्षेत्र : ग्राम.....ग्राम पंचायत.....पोस्ट आफिस.....  
विकास खण्ड.....थाना क्षेत्र.....तहसील.....जनपद.....
  - (ख) शहरी क्षेत्र : मकान संख्या.....वार्ड/मुहल्ला.....पोस्ट आफिस.....  
थाना क्षेत्र.....शहरी निकाय.....तहसील.....जनपद.....

प्रश्नक,

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,  
लखनऊ।

सेवा में,

- 1- कुल सचिव लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।
- ✓ 2- कुल सचिव प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ। IET 2-7-10
- 3- कुल सचिव छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ।
- 4- प्राचार्य नेशनल होम्योपैथिक कालेज लखनऊ।
- 5- प्राचार्य/अधीक्षक राजकीय आर्युवैदिक कालेज चिकित्सालय लखनऊ।
- 6- कुल सचिव डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ।
- 7- क्षेत्रीय उच्चशिक्षाधिकारी, लखनऊ।
- 8- प्रधानाचार्य समस्त पालीटेक्निक, लखनऊ।
- 9- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 10- प्रधानाचार्य आई०टी०आई० लखनऊ।
- 11- डा० राम मनोहर लोहिया विश्व विद्यालय लखनऊ।
- 12- प्राचार्य राजकीय यूनानी कालेज लखनऊ।

पत्रांक 573 / पि०व०क० / छा.वृ. फीस प्रतिपूर्ति / 2010-11 दिनांक 30-6-16

विषय:- दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रेषण।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासन द्वारा छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति हेतु एक ही आवेदन पत्र विकसित किया गया है जो अगले दिनों को संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अपने अधीन दशमोत्तर स्तरीय समस्त शिक्षण संस्थाओं को भिजवाने का कष्ट करें।

समस्त शिक्षण संस्थाओं से वर्ष 2010-11 में छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति हेतु एक ही आवेदन पत्र संलग्न नये प्रारूप पर दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप ही भरा जायेगा। भरे हुए आवेदन 31.7.2010 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अवश्य प्रेषित कर दिये जायें। संलग्न प्रेषित आवेदन पत्रों की सूची दो प्रतियों में संलग्न प्रारूप पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	पता	जाति	आय	बैंक का नाम	ब्रांच	सी.टी.एस. खाता संख्या	छा.वृ. धनराशि	वृत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

संलग्न:- नवीन आवेदन पत्र।

भवदीय  
30/6/10

(श्रीमती रेखा गुप्ता)

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,  
लखनऊ।

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी, महोदय लखनऊ।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय लखनऊ।

जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी,  
लखनऊ।

Notice Board

3/7/10